देवराज नागर,
आईपीएस

अ.शा.परिपत्र संख्या- 19 /2013

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,

दिनांक: मई 6 , 2013

प्रिय महोदय,

महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराध अत्यन्त गंभीर विषय है जिस पर पुलिस को प्रभावी कार्यवाही कर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। कुछ समय से इन अपराधों में वृद्धि प्रदर्शित हुई है जिसके पीछे विभिन्न कारण हो सकते है। जहां एक ओर महिलाओं द्वारा अभियोग पंजीकृत कराने का साहस किया जा रहा है, वही दूसरी ओर बढ़ते हुए उपभोक्तावाद, शहरीकरण, अश्लील साहित्य का अबाध उपलब्धता, एवं मानसिक कुविकार इत्यादि भी इसका कारण है। कारण जो भी हो, परन्तु पुलिस के लिए यह एक चिंता का विषय है।

इस संबंध में मेरे द्वारा कई परिपत्र जारी किये गये है और दिनांक 27.4.2013 को हुई गोष्ठी में इस विषय पर चर्चा की गयी थी। विचार-विमर्श के दौरान यह पाया गया था कि पुलिस को अपने स्तर से निम्नलिखित कार्यवाही करनी चाहिए:-

(अ) कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से ग्राम व बस्तियों का अंगीकरण कर वहां के युवक, युवतियों को खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से पुलिस व समाज की मुख्य धारा से जोड़कर रखना।

(ब) कम्युनिटी पुलिसिंग व सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों एवं कर्मियों के माध्यम से सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करना। ग्राम सुरक्षा समितियों के प्रदर्शन, आशा-बहुएं, एएनएम, शिक्षकों इत्यादि के माध्यम से इसका प्रचार कराया जाना।

(स) अति महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि Broken Window Concept के तहत पुलिस को महिलाओं के विरूद्व छोटे से छोटे अपराध, चाहे वे धारा 509 भादंवि के पंजीकृत हुए हों, में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना । इसी प्रकार से संवेदनशील स्थानों व समय पर प्रभावी गश्त की व्यवस्था की जाय। छोटी से छोटी घटना को कदापि अनदेखा न किया जाना।

(द) उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर वैज्ञानिक पद्वति का इस्तेमाल कर उत्तम व त्वरित विवेचना करना।

(य) महिलाओं के विरूद्व गंभीर प्रकरण जैसे बलात्कार व हत्या, गैग रेप, सनसनीखेज बलात्कार के प्रकरणों को चिन्हित कर उनकी कोर्ट में प्रभावी पैरवी कराकर अभियुक्त को सजा दिलवाया जाना।

(र) ऐसे अभियुक्त जिनके द्वारा महिलाओं के विरूद्व दुर्दान्त अपराध किये गये है उनके विरूद्व गिरोहबंद अधिनियम, गुण्डा अधिनियम व आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना। यह कार्यवाही विशेषकर ऐसे व्यक्तियों के विरूद्व अवश्य हो जो इस प्रकार के अपराध करने के आदी हों।

जहां कुछ जनपदों में मै पा रहा हूं कि पुलिस अधीक्षक स्तर पर अपेक्षित प्रयास किया जा रहा है, वही यह अत्यन्त खेदजनक है कि अभी थी दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 व बच्चो से संबंधित यौन उत्पीड़न अधिनियम 2012 (POSCO) की धाराओं का प्रयोग मुकदमा पंजीकरण के समय नही किया जा रहा है। सबसे अधिक खेदजनक यह है कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय से दूरभाष पर संबंधित अधिकारियों को बताकर उचित धाराओं का समावेश अभियोगों में कराया जा रहा है। जोनल पुलिस महानिरीक्षक / परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा संभवत: अपने इस दायित्व को पूर्णत: निष्पादित नही किया जा रहा है। मेरे कार्यालय से जब यह कार्य किया जा सकता है तो मै अपेक्षा करता हूं कि जोनल पुलिस महानिरीक्षक / परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी स्वयं अग्र-सक्रिय (Pro-active) होकर यह कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि कार्यशाला आयोजित कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को इन धाराओं के बारे में अवगत करावें। ऐसा न करने पर गंभीर रूख अपनाया जायेगा।

मै आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि इन संवेदनशील अपराधों को रोकने के लिए आपने अपने कार्यक्षेत्र (जोन/परिक्षेत्र/जनपद) पर क्या कार्ययोजना बनाई है। मुझे इस सम्बन्ध में एक सप्ताह में अवगत कराएं।

भवदीय,

(देवराज नागर)

6.5.13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।